-1-

R-1985-PBR/12

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. पी.बी.आर. /निगरानी/12

जगदीश प्रसाद अग्रवाल आ0 स्व0 श्री मालचंद अग्रवाल
निवासी नन्दवाना विदिशा म0प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

1. जयप्रकाश अग्रवाल आ0 स्व0 श्री मालचंद अग्रवाल
   निवासी नन्दवाना विदिशा म0प्र0
2. श्रीमती मीना दूदावत पुत्री स्व0 श्री मालचंद अग्रवाल
   पत्नी श्री अरविन्द दूदावत निवासी रामालय,सर्राफा बाजार
   लश्कर ग्वालियर म0प्र0
3. श्रीमती प्रीति अग्रवाल पुत्री स्व0 श्री मालचंद अग्रवाल
   पत्नी श्री मुकेश अग्रवाल निवासी विज्ञान नगर, 2/86
   कोटा राजस्थान ....अनावेदकगण

श्री प्रेम सिंह ठाकुर अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 12-6-12 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 12-6-12

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अपर आयुक्त भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क्र0 42/अन्तरण/11-12 में पारित आदेश दिनांक 02/06/12 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

23-6-12

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बमोरा तहसील विदिशा स्थित भूमि खसरा क्र0 86,175,224,37,340, कुल रकवा 22.397 हेक्टयर भूमि आवेदक के अधिपत्य में होकर आवेदक उस पर कृषि कार्य कर रहा है । अनावेदकगण ने बालाबाला नामान्तरण कि कार्यवाही कराते हुए उक्त भूमि अपने नाम भी दर्ज करवा लिये गये । अनावेदकगण के पक्ष में कि गयी नामान्तरण कि कार्यवाही के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी । अपील विचाराधीन रहने के दौरान ही अनावेदक क्र0 1 द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष म0प्र0 भूराजस्व सहिंता कि धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जो प्रकरण क्र0 25/अ-27/11-12 में दर्ज किया गया । प्रकरण कि जानकारी प्राप्त

.....2

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण क्रमांक1985-PBR/2012 निगरानी जिला **विदिशा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह०
8-11-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 42/2011-12 अंतरण में पारित आदेश दिनांक 2-6-12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसील न्यायालय में उभय पक्ष के बीच ग्राम बामौरा स्थित भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 22.397 के बटवारे एंव नामान्तरण का प्रकरण कमांक 25 ए 27/2011-12 पंजीबद्ध हुआ। तहसीलदार विदिशा व्दारा प्रकरण में कार्यवाही की जा रही थी, इसी दरम्यान अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के यहॉ प्रकरण कमांक 42/2011-12 अंतरण दर्ज कराया जाकर मांग की गई कि तहसीलदार से न्याय मिलने की उम्मीद न होने के कारण प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में हस्तांतरित किया जावे। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने आदेश दिनांक 2-6-12 से प्रकरण तहसीलदार के न्यायालय से नायव तहसीलदार विदिशा के न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरण के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है। 3/ आवेदक की ओर से श्री अमित गुप्ता अभिभाषक के तर्क सुने गये। सम्यक सूचना निर्वहन के अभाव में पंजीकृत डाक से अनावेदकगण को सूचना भेजी गई , किन्तु वह	

अनुपस्थित रहे है, इसलिये उनके विरुद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 42/2011-12 अंतरण में पारित आदेश दिनांक 2-6-12 के अवलोकन से स्थिति यह है कि इस आदेश व्दारा तहसील न्यायालय का प्रकरण कमांक 25 ए 27/2011-12 तहसीलदार के न्यायालय से नायव तहसीलदार विदिशा के न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित किया है। आवेदक को सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने के लिये जो अवसर तहसीलदार विदिशा के न्यायालय में प्राप्त था, वही अवसर उसे नायव तहसीलदार विदिशा के न्यायालय में प्राप्त है क्योंकि तहसील व स्थान एक है जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 2-6-12 में फेर-बदल संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने जानबूझकर न्याय समय पर न हो पाये, विलम्ब करने के उद्वेश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की है ।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त करते हुये अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 42/2011-12 अंतरण में पारित आदेश दिनांक 2-6-12 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य